भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1016

25 जुलाई, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आंध्र प्रदेश में विदेशी चिकित्सा स्नातक

†1016. श्री मड्डीला गुरूमूर्तिः

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि आंध्र प्रदेश में विदेशी चिकित्सा स्नातकों (एफएमजी) को तीन वर्षीय पाठ्यक्रम पूरा करना अनिवार्य किया जा रहा है, जो अन्य राज्यों में अपनाई जाने वाली इंटर्नशिप अवधि और वृत्ति नीतियों के अनुरूप नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विभिन्न राज्यों, विशेषकर आंध्र प्रदेश में एफएमजी के लिए इंटर्नशिप शर्तों में ऐसी असमानता की अनुमति देने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार यह मानती है कि इस विसंगति के कारण योग्य एफएमजी के साथ असमान व्यवहार होता है तथा इससे अनावश्यक वित्तीय और व्यावसायिक कठिनाई उत्पन्न होती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के दिशानिर्देशों के अनुपालन में सभी राज्यों में एफएमजी के लिए इंटर्नशिप अवधि में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में आंध्र प्रदेश के मामले में हस्तक्षेप करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ङ): विदेशी चिकित्सा स्नातकों (एफएमजी) के संबंध में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातक अनुज्ञप्ति) विनियम, 2021, भारत में चिकित्सा प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस या स्थायी पंजीकरण जारी करने की प्रक्रिया को विनियमित करता है और यह सभी विदेशी चिकित्सा स्नातकों पर समान रूप से लागू है। इसके अलावा, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (अनिवार्य रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप) विनियम, 2021 अनिवार्य रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप(सीआरएमआई) के सभी पहलुओं को विनियमित करता है।

कोविड-19 महामारी और/या युद्ध जैसी परिस्थितियों से उत्पन्न व्यवधानों के कारण राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने दिनांक 07.12.2023 और 19.06.2024 की सार्वजनिक सूचना के माध्यम से निम्नलिखित दिशानिर्देश/स्पष्टीकरण जारी किए:-

- विदेशी चिकित्सा स्नातक (एफएमजी), जिन्होने अपने अंतिम वर्ष में अवकाश लिया था, वे भारत लौट आए हैं और ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा देकर अपना एफएमजी पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है, उन्हें भारत में एक वर्ष की क्लिनिकल क्लर्कशिप (सीसी) पूरी करनी होगी। क्लिनिकल क्लर्कशिप पूरा करने के बाद वे किसी मेडिकल कॉलेज या किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान में एक वर्ष की अनिवार्य रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप (सीआरएमआई) शुरू कर सकते हैं।
- जिन विदेशी चिकित्सा स्नातकों (एफएमजी) ने अपने अंतिम वर्ष में अवकाश लिया था, वे भारत लौट आए हैं और ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा देकर अपना पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है, उन्हें भारत में दो वर्ष की क्लिनिकल क्लर्कशिप (सीसी) पूरी करनी ही होगी। क्लिनिकल क्लर्कशिप सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद, वे किसी मेडिकल कॉलेज या किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान में एक वर्ष के लिए अनिवार्य रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप (सीआरएमआई) शुरू कर सकते हैं।
- जिन विदेशी चिकित्सा स्नातकों (एफएमजी) ने ऑनलाइन कक्षाओं की जगह अपनी भौतिक उपस्थिति द्वारा कक्षाएं ली हैं और मेडिकल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है, वे एक वर्ष की अनिवार्य रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप (सीआरएमआई) के बाद स्थायी पंजीकरण के लिए पात्र हैं।

*****